न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 284 दायर दिनांक : 05.11.2015

भोलासिंह पुत्र हाकमसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति कारीगर (रामगढ़िया) निवासी ग्राम झांबर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) —वादी

बनाम

1. तेजासिंह
2. गुरदेवसिंह
3. अमरजीतसिंह

पुत्रगण दलीपसिंह जाति कारीगर (रामगढ़िया) निवासीयान लालपुरा चक 17 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

4. छोटी कौर पुत्री दलीपसिंह पत्नी प्रीतमसिंह जाति रामगढ़िया निवासी लालपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. रजी कौर पुत्री दलीपसिंह पत्नी हरनेकसिंह जाति रामगढ़िया निवासी चक 18 जेड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. गुरदेवकौर उर्फ गैबी पुत्री दलीपसिंह पत्नी जरनैलसिंह जाति रामगढ़िया निवासी 8 पी.एस.डी.'बी' रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.) (मृतक) जरिये वारिस :—

6/1. सुरजीतसिंह
6/2. गुरदीपकौर
6/3. कुलदीपसिंह
6/4. जयसिंह
6/5. विक्रमसिंह
6/6. मनजीतसिंह

पुत्रगण व पुत्री गुरदेवकौर पत्नी जरनैलसिंह जाति रामगढ़िया निवासीयान 8 पी.एस.डी.'बी' रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)

7. सुखपालसिंह पुत्र हरनेकसिंह जाति रामगढ़िया निवासी चक 5—सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
8. महाराजा जगतसिंह मेडिकल रिलीफ सोसायटी पो.ऑ. डेरा बाबा जैमलसिंह तहसील बाबा बकाला जिला अमृतसर (पंजाब)
9. तिलोकसिंह पुत्र हाकमसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति रामगढ़िया निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) (आदेश दिनांक 20.08.2019 द्वारा तर्क)
10. गुड्डी कौर पुत्री हाकमसिंह पत्नी पृथ्वीसिंह जाति रामगढ़िया निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.)

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

11. छिन्द्रकौर पुत्री हाकमसिंह पत्नी अमरसिंह जाति रामगढ़िया निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.)
12. शिबो कौर पुत्री हाकमसिंह पत्नी सरजीतसिंह जाति रामगढ़िया निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
13. बिन्द्रकौर पुत्री हाकमसिंह पत्नी चीनासिंह जाति रामगढ़िया निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
14. अकोकौर पुत्री हाकमसिंह पत्नी जगराजसिंह जाति रामगढ़िया निवासी कोलआली पिंड तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
15. भादो कौर पुत्री हाकमसिंह पत्नी भालसिंह जाति रामगढ़िया निवासी चक 25 एम.एल. सुलेमान हैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
16. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
17. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
18. उप–पंजीयक, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अभिभाषक वादी
2. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 3, 7
3. श्री अजय कुमार अरोड़ा, अभिभाषक प्रतिवादी सं. 8
4. श्री विनोद कुमार बिश्नोई, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 6/1 से 6/6
5. श्री अमित सैनी, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 9 से 15
6. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 23.12.2019

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने यह वाद इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि चक 17 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 ता 72 की खाता सं. 48/37 में अंकित 1.992 है0 नहरी, चक 17 एस.टी.बी.'ए' की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 73 में अंकित

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

1.910 है0 नहरी, चक 17 एस.टी.बी.'ए' की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 की खाता सं. 3/3 में अंकित 2.024 है0, कुल 5.927 है0 भूमि में हाकमसिंह को दलीपसिंह का पुत्र बताते हुए उसको 1/4 हिस्सा का खातेदार मानकर उक्त 1/4 हिस्से में स्वयं एवं प्रतिवादीगण सं. 9 ता 14 का 1/7 हिस्सा ब.हि.ब. का खातेदार घोषत होने का अनुतोष चाहा व दलीपसिंह को उक्त आवंटित भूमि हिन्दू सहदायी मानकर उसके द्वारा की गई वसीयत अप्रभावी मानकर एवं दलीपसिंह की मृत्यु उपरान्त वसीयत के आधार पर हुए नामान्तरकरण विक्रय आदि को अप्रभावी मानकर उक्त घोषणा प्रदान करने की प्रार्थना की। साथ ही इस हेतु 212 आर.टी.ए. का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर स्थगन भी चाहा।

वाद एवं प्रार्थना–पत्र 212 आर.टी.ए. दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को तलब किया गया। पक्षकारान के जवाब आने के बाद प्रतिवादी सं. 1 तेजासिंह द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दलीपसिंह के नाम चक 17 एस.टी.बी.'बी' एवं 17 एस.टी.बी.'ए' में 24.11 बीघा यानि 6.211 है0 भूमि स्वयं को आवंटित होकर खातेदारी थी। भूमि स्वयं अर्जित व उन्हीं के नाम खातेदारी हुई जिसका उन्होंने अधिकार सहित वसीयत की नियमानुसार सुनवाई कर सक्षम अधिकारी द्वारा नामान्तरकरण किया गया। इसके पश्चात् इस भूमि के सम्बन्ध में वसीयत अप्रभावी करार कर घोषणा के वाद किये गये जो निरस्त किये गये। वसीयत निरस्ती, घोषणा वारिस के अधिकार व्यवहार न्यायालय को होने से वाद पूर्व न्याय निर्णय Resjudicata होने से सुनवाई से Barred by law की तारीफ में आने से एवं द्वितीय व्यवहार न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत ना आने से निरस्त किये जाने योग्य बताते हुए व्यवहार प्रक्रिया के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत निरस्त करने की प्रार्थना की। वर्तमान में इसी प्रार्थना–पत्र पर बाद आने जवाब तर्क सुनकर वास्ते निर्णय प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि मुख्य आवंटिती दलीपसिंह को दिनांक 08.04.1959 को चक 2 एल.एल.पी. के पत्थर नं. 42/327 में 11.00 बीघा, 41/327 में

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

5.00 बीघा, 40/327 में 9.00 बीघा, कुल 25.00 बीघा रकबा का आवंटन हुआ। बाद में यह चक 17 एस.टी.बी.'ए' एवं 17 एस.टी.बी.'बी' में पैमूद हुआ। अंकित आवंटिती की यह स्वयं पैदाकर्दा सम्पत्ति थी। हिन्दू सहदायी परिवार को सम्पत्ति ना तो आवंटन हुई व ना ही उनका किसी प्रकार का हक व हिस्सा था। अंकित काश्तकार दलीपसिंह ने स्वयं को उक्त भूमि को स्वयं अर्जित बताकर तीन लड़कों के नाम वसीयत की। स्वयं पैदाकर्दा सम्पत्ति का अब वर्तमान में विवाद राजस्व न्यायालयों में नहीं उठा सकते। वर्णित भूमि हेतु पूर्व में तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ द्वारा पंजीकृत वसीयत को सही मानकर नामान्तरकरण दर्ज हुआ एवं इसके सम्बन्ध में इसी भूमि की घोषणा हेतु पक्षकारों के मध्य बहिनों मुसम्मात राजकौर व गुरदेवकौर पुत्र/पुत्रीयां दलीपसिंह ने वसीयत को अधिकारों पर अप्रभावी बताकर स्वयं को सम्पत्ति में खातेदार मुताबिक हिस्सा घोषणा करवाने हेतु वाद सं. 122/1992 अनवानी राजकौर वगैरह बनाम गुरदेवसिंह सक्षम अदालत में पेश किया जो 15.03.1993 को निरस्त हुआ। इसके बाद पुनः एक वाद सं. 31/1994 मु. छोटो पुत्री दलीपसिंह बनाम गुरदेवसिंह पेश किया जो वर्ष 2000 में निरस्त हुआ। इसके बाद वाद सं. 13/2001 गुरदेवसिंह बनाम तेजासिंह सक्षम अदालत में प्रस्तुत हुआ जो विभाजन खाता का वाद 2001 को स्वीकार कर खाता विभाजन किया गया। विशिष्ट भूमियों पर प्रतिवादीगण का कब्जा 2001 से निरन्तर है। कभी भी इस भूमि पर वादी का कब्जा नहीं रहा। इसके बाद भी तेजासिंह के वारिसों द्वारा इस भूमि को पैतृक बताकर वाद किये गये जो कि अन्तिम रूप से 2015 में राजस्व अपील प्राधिकारी स्तर से निरस्त हुए। इस विषय में प्रथमतः पूर्व न्याय Resjudicata का सिद्धान्त लागू होने से वर्तमान वाद निरस्ती योग्य है। वादी ने वाद सरपंच प्रमाण–पत्र के आधार पर प्रस्तुत किया है जो कि वारिस प्रमाण–पत्र जारी करने का सक्षम अधिकारी नहीं है। इसके आधार पर वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से वाद किसी भी प्रकार से चलने योग्य ना होने का तर्क दिया व आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निरस्त करने की प्रार्थना की। अपने कथनों के समर्थन में न्याय निर्णय प्रकाशित CJ(Civ) 2017(Raj) पेज सं. 2036, आर.बी.जे. 1998 पेज सं. 487, CJ(Civ) (Raj) 2019(1) पेज सं. 249 प्रस्तुत किये।

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

विद्वान अभिभाषक वादी/अप्रार्थी द्वारा तर्क दिया गया कि आरोप व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 की परिधि (ingrediant) में नहीं आते। पूर्व वादों में वादी अथवा उनका पिता पक्षकार नहीं था। समान पक्षकारों के मध्य वाद बिन्दुओं का बाद सुनवाई निर्णय नहीं किया गया, इसलिए पूर्व निर्णय (Resjudicata) का सिद्धान्त यहां पर प्रभावशील नहीं होता। वर्तमान में जवाबदावा आ चुका है, इसलिए बाद तनकीयात गुण दोष पर निर्णय करने की प्रार्थना की व प्रार्थना–पत्र प्रार्थी निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण के तर्क सुनने के पश्चात् पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक पठन किया। प्रस्तुत न्याय निर्णयों का आदर सहित एकाग्रचित होकर पठन व मनन करने के पश्चात् यह तथ्य स्पष्ट पत्रावली से अवधारित किया गया कि इस मामले में मूल आवंटिती दलीपसिंह पुत्र बानसिंह को चक 2 एल.एल.पी. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नं. 42/327, 40/327, 41/327 की 25.00 बीघा निलामी में खरीद आधार पर आवंटित हुई जिसकी नियमानुसार रकम दलीपसिंह द्वारा अदा की गयी। वसीयत का तथ्य भी सभी पक्षकार स्वीकार कर रहे हैं। प्रश्न भूमि सहदायी अथवा व्यक्तिगत हिन्दू सम्पत्ति होने का है, मेरी राय में यह एक व्यवहार का प्रश्न है जो व्यवहार न्यायालय द्वारा ही निर्णय किया जा सकता है। इस भूमि के बारे में पूर्व में पक्षकारों के मध्य भूमि सहदायी, व्यक्तिगत, वसीयत की प्रभावशीलता आदि का विवाद राजस्व न्यायालयों में प्रस्तुत होते रहे हैं व उनके मध्य निर्णय भी होते हैं जिसमें किसी भी न्यायालय ने प्रश्नगत भूमि को सहदायी नहीं माना व इसी आधार पर पक्षकारों का वाद निरस्त होता रहा। पक्षकारों का एक भी वाद घोषणात्मक स्वीकार नहीं हुआ है। न्ययालय द्वारा ही प्रकरण सं. 174/2011 निर्णय दिनांक 10.09.2012 अनवानी मलकीतसिंह पुत्र तेजासिंह वगैरह बनाम तेजासिंह पुत्र दलीपसिंह पूर्व न्याय निर्णय (Resjudicata) के आधार पर निरस्त किया है जो वर्तमान में राजस्व अपील प्राधिकारी स्तर पर यथावत रहा है। जहां तक इस तथ्य का सम्बन्ध है कि वादी दलीपसिंह का पुत्र है अथवा नहीं, इसका निर्धारण मात्र सरपंच द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। इस सम्बन्ध में निर्णय व्यवहार न्यायालय ही घोषणा द्वारा करने में सक्षम

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

है। इस सम्बन्ध में अभिभाषक प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय प्रकाशित CJ(Civ)Raj पेज सं. 249 पूरनसिंह बनाम जनरल पब्लिक इस मामले में पूर्ण रूप से प्रभावशील प्रतीत होता है। जहां तक CJ(Civ)(Raj) पेज सं. 2036 का प्रश्न है, यह निर्णय अप्रार्थी के तर्कों के जवाब में पूर्णतः लागू होता है। जहां वाद के प्रथम पठन से ही यह प्रकट होता हो कि वाद व्यवहार न्याय क्षेत्र का है एवं उसमें पूर्व न्याय निर्णय (Resjudicata) का प्रभाव भी पूर्णतः स्पष्ट हो, वाद में प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता किसी भी स्तर पर सुनकर निर्णय किया जा सकता है। बाद अवलोकन यह प्रकरण व्यवहार न्याय क्षेत्र का एवं पूर्व न्याय निर्णय (Resjudicata) से पूर्ण रूप से प्रभावित नजर आता है। इस सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य पूर्व न्याय निर्णय (Resjudicata) मानकर प्रकरण संख्या 174/2011 निर्णय दिनांक 10.09.2012 इसी न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। वर्तमान में सम्पत्ति हेतु यद्यपि पक्षकार अलग हैं, किन्तु निर्णय सम्पत्ति व विवाद बिन्दु समान होने से उस बिन्दु पर पुनः सुनवाई उचित प्रतीत नहीं होती।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रतिवादी सं. 1/प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर वाद वादी निरस्त किया जाता है। इसी अनुसार प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, जो अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. की पत्रावली संख्या 319/2015 में भी प्रस्तुत हुआ है, उसे भी स्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति 212 आर.टी.ए. की वादी एवं प्रतिवादीगण की पत्रावली में संलग्न कर प्रार्थना–पत्र निरस्ती का नोट अंकित किया जाता है। निर्णय अनुसार वाद में डिक्री तैयार कर संलग्न पत्रावली की जाकर नियमानुसार बाद तरतीब तकमील दोनों पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक **23.12.2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

अनवान :–

भोलासिंह पुत्र हाकमसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति कारीगर (रामगढ़िया) निवासी ग्राम झांबर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) –वादी

बनाम

1. तेजासिंह
2. गुरदेवसिंह
3. अमरजीतसिंह

पुत्रगण दलीपसिंह जाति कारीगर (रामगढ़िया) निवासीयान लालपुरा चक 17 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

4. छोटी कौर पुत्री दलीपसिंह पत्नी प्रीतमसिंह जाति रामगढ़िया निवासी लालपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. रजी कौर पुत्री दलीपसिंह पत्नी हरनेकसिंह जाति रामगढ़िया निवासी चक 18 जेड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. गुरदेवकौर उर्फ गैबी पुत्री दलीपसिंह पत्नी जरनैलसिंह जाति रामगढ़िया निवासी 8 पी.एस.डी.'बी' रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.) (मृतक) जरिये वारिस :–

   6/1. सुरजीतसिंह
   6/2. गुरदीपकौर
   6/3. कुलदीपसिंह
   6/4. जयसिंह
   6/5. विक्रमसिंह
   6/6. मनजीतसिंह

   पुत्रगण व पुत्री गुरदेवकौर पत्नी जरनैलसिंह जाति रामगढ़िया निवासीयान 8 पी.एस.डी.'बी' रावला मण्डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)

7. सुखपालसिंह पुत्र हरनेकसिंह जाति रामगढ़िया निवासी चक 5–सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
8. महाराजा जगतसिंह मेडिकल रिलीफ सोसायटी पो.ऑ. डेरा बाबा जैमलसिंह तहसील बाबा बकाला जिला अमृतसर (पंजाब)
9. तिलोकसिंह पुत्र हाकमसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति रामगढ़िया निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) (आदेश दिनांक 20.08.2019 द्वारा तर्क)
10. गुड्डी कौर पुत्री हाकमसिंह पत्नी पृथ्वीसिंह जाति रामगढ़िया निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.)
11. छिन्द्रकौर पुत्री हाकमसिंह पत्नी अमरसिंह जाति रामगढ़िया निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.)
12. शिबो कौर पुत्री हाकमसिंह पत्नी सरजीतसिंह जाति रामगढ़िया निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
13. बिन्द्रकौर पुत्री हाकमसिंह पत्नी चीनासिंह जाति रामगढ़िया निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
14. अकोकौर पुत्री हाकमसिंह पत्नी जगराजसिंह जाति रामगढ़िया निवासी कोलआली पिंड तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

15. भादो कौर पुत्री हाकमसिंह पत्नी भालसिंह जाति रामगढ़िया निवासी चक 25 एम.एल. सुलेमान हैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.)
16. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
17. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
18. उप–पंजीयक, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 53, 188, 207 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 284 वर्ष 2015 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री भागीरथ बिश्नोई, प्रतिवादीगण सं. 1 से 3, 7 श्री राकेश कुमार मनचन्दा, प्रतिवादी सं. 8 श्री अजय कुमार अरोड़ा, प्रतिवादीगण सं. 6/1 से 6/6 श्री विनोद कुमार बिश्नोई व प्रतिवादीगण सं. 9 से 15 श्री अमित सैनी एवं पैरोकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ़** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

प्रतिवादी सं. 1/प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाकर वाद वादी निरस्त किया जाता है।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक **23.12.2019** को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.27 13:36:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: